सत्यमेव जयते

(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No.7/2/2019/आईआरएंडडब्ल्यू IR&W/14336 नवंबर November 21,2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय Subject : **सीएचएसएस के तहत नवीनतम रोगों को शामिल करने और दवाइयां जारी करने के संबंध में। Inclusion of Latest Diseases under CHSS and issue of Drugs - reg.**

विभाग में ऐसे रोगों के उपचार और उनके उपचार की प्रक्रिया, जो सीएचएसएस के तहत रोग की स्वीकृत सूची/उपचार की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं, के लिए अनुमति देने हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में इकाइयों से पत्र प्राप्त हो रहे थे। कई बार, इनको सीजीएचएस नियमावली के तहत दिए गए दिशा-निर्देश के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण लिवर प्रत्यारोपण का है जिसके लिए सीएचएसएस के तहत कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं जबकि सीजीएचएस में इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश हैं।

The Department had been receiving references from Units with regard to guidelines for allowing treatment for diseases, including line of treatment, which are not otherwise included in the approved list of diseases/line of treatment under CHSS. Many a times these are cleared on the basis of guidelines given under CGHS Rules. One such example is for liver transplantation, for which no specific guidelines are available under CHSS, while CGHS have detailed guidelines for the same.

2. दिनांक 22.7.2019 को संपन्न सीएचएसएस समीक्षा समिति की बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने सीजीएचएस के अंतर्गत शामिल सभी रोगों और उनके उपचार की प्रक्रिया को सीएचएसएस के अंतर्गत लाने की संस्तुति की है ताकि मामले दर मामले के आधार पर स्थिति से निपटने के मामलों को कम किया जा सके। तदनुसार, सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारियों को रेफर किए गए अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापनों को करने /नवीनीकरण करने/संशोधन करते समय इस संस्तुति का अनुपालन करना जरूरी है। आगे, समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय सीजीएचएस की अधिकतम सीमा को भी ध्यान में रखा जाए।

The matter was deliberated in the CHSS Review Committee meeting held on 22.7.2019. After detailed discussion, the Committee recommended to bring into CHSS all those diseases, including line of treatment, covered under CGHS, so as to reduce the instances of handling situations on case to case basis. Accordingly, all CHSS Administering Authorities are required to comply with this recommendation at the time of entering/renewing/modifying the MoUs with the referral hospitals. Further, while finalizing the MoUs, CGHS ceiling limit shall also be kept in mind.

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

<u>सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी</u>
<u>All CHSS Administering Authorities.</u>